नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर - 6, नौएडा - 201301

सं. नौएडा/वाणिज्य/2015/.505
दिनांकः- 16 / 3 /2015

M/s Crest Promoters Pvt. Ltd.
D-107, Panchsheel Enclave,
New Delhi – 110 017

विषयः स्पोर्टस सिटी भूखण्ड संख्या – **SC-02** सैक्टर - **150** नोएडा के भाग सं. एस0सी0 - 02/एफ. क्षेत्रफल 58,064.71 वर्ग मीटर तथा भांग सं. एस0सी0 - 02/जी. क्षेत्रफल 60,000.54 वर्ग मीटर के पट्टा प्रलेख निष्पादन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उक्त भूखण्ड के आवंटी मैसर्स लोटस ग्रीन कन्स्ट्रक्शनस् प्रा.लि. (कन्सोरशियम) के पत्र दिनांक 11.03.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वाणिज्यिक योजना सं. 2014-15 (स्पोर्टस सिटी) की नियम व शर्तो के अनुसार भूखण्ड के भाग सं. एस0सी0 - 02/एफ. सेक्टर 150 क्षेत्रफल 58,064.71 वर्ग मीटर तथा भाग सं. एस0सी0 - 02/जी. क्षेत्रफल 60,000.54 वर्ग मीटर के पट्टा प्रलेख का निष्पादन आपके (रेलेवेन्ट सदस्य) पक्ष में पट्टा प्रलेख निष्पादन का अनुरोध किया गया था ।

योजना की नियम व शर्तों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा उक्त दोनों भागों का आपके पक्ष में पट्टा प्रलेख निष्पादन का निर्णय लिया गया है । अतः आपसे अनुरोध है कि इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अन्दर निम्नानुसार प्रपत्र प्रस्तुत करते हुए पट्टा प्रलेख निष्पादन कराना सुनिश्चित करें ।

1. प्राधिकृत हस्ताक्षरी का स्वयं का घोषणा-पत्र जिसमें नाम, आयु, पिता का नाम व निवास का पता अंकित हो ।
2. प्राधिकृत हस्ताक्षरी के प्रमाणित हस्ताक्षर की 2 प्रति, हस्ताक्षर का प्रमाणीकरण बैंकर या राजपत्रित अधिकारी द्वारा होनी चाहिए ।
3. प्राधिकृत हस्ताक्षरी के पांच प्रमाणित फोटो प्रति (फोटो का प्रमाणीकरण राजपत्रित अधिकारी/ बैंकर या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित होना चाहिए)।
4. भाग सं. एस.सी.-02/एफ. के लिए रूपये 71811600/- + **रूपये** 50/- की धनराशि के यू0पी0 नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर (आबंटी को सुझाव है कि स्टाम्प की गणना उप निबन्धक नोएडा कार्यालय से सत्यापित करा लें)। स्टाम्प के अधिक या कम होने की दशा में प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
5. भाग सं. एस.सी.-02/एफ. के लिए एक वर्ष का अग्रिम भू-भाटक रूपये 58065/- तथा लीगल डाक्यूमेन्टेशन चार्जेज के मद में रूपये 50/- जमा करना है (जिसका चालान आबंटन पत्र में निर्दिष्ट बैंक शाखाओं में उपलब्ध है)।
6. भाग सं. एस.सी.-02/जी. के लिए रूपये 74205700/- + **रूपये** 50/- की धनराशि के यू0पी0 नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर (आबंटी को सुझाव है कि स्टाम्प की गणना उप निबन्धक नोएडा कार्यालय से सत्यापित करा लें)। स्टाम्प के अधिक या कम होने की दशा में प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।

7. भाग सं. एस.सी.-02/जी. के लिए एक वर्ष का अग्रिम भू-भाटक रूपये 60001/- तथा लीगल डाक्यूमेन्टेशन चार्जेज के मद में रूपये 50/- जमा करना है (जिसका चालान आबंटन पत्र में निर्दिष्ट बैंक शाखाओं में उपलब्ध है)।
8. मैमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल्स व एसोसियेशन एवं निगमन प्रमाण पत्र ।
9. चार्टर्ड एकाउन्टेंट से प्रमाणित अंशधारकों एवं निदेशकों की सूची ।
10. निदेशक मण्डल का प्रस्ताव (रिसोल्यूशन) ।
11. रबर सील व कॉमन सील ।

भवदीय

सहायक महाप्रबंधक (वाणिज्य)